प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1010/2007

याचिकाकर्ता - शारिक अहमद (अधिवक्ता), आत्मज मोहम्मद गनी, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी - गोकुल भवन के पास, स्टील सिटी भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

बनाम

उत्तरवादी - सुंदर लाल, आत्मज शारिक अहमद, आयु लगभग 4 वर्ष, अवयस्क द्वारा संरक्षक माता श्रीमती किरण बाई महर, निवासी - रिसालीभाठा भिलाई, थाना - नेवई, तहसील व जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री विपिन तिवारी, अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 12 मार्च, 2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 277/2006 (सुंदर लाल बनाम शारिक अहमद) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.6.2002 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादी द्वारा

याचिकाकर्ता को डी.एन.ए. परीक्षण कराने के निर्देश देने हेतु दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी (अवयस्क) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए इस आधार पर आवेदन दायर किया है कि वह याचिकाकर्ता और श्रीमती किरण बाई से उत्पन्न पुत्र है। याचिकाकर्ता ने श्रीमती किरण बाई (एक विधवा) को विवाह का प्रलोभन देकर लुभाया और शारीरिक संबंध बनाए। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और उक्त श्रीमती किरण बाई के उक्त संबंधों के चलते दिनांक 7.8.2002 को उत्तरवादी (अवयस्क) का जन्म हुआ।

3. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी का पिता होने के संबंध से इनकार किया है। यह स्थापित करने के लिए कि उत्तरवादी (अवयस्क) का जन्म श्रीमती किरण बाई और याचिकाकर्ता के शारीरिक संबंधों से हुआ है, याचिकाकर्ता को डी.एन.ए. परीक्षण कराने का निर्देश देने हेतु दिनांक 10.11.2006 को एक आवेदन दायर किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उत्तरवादी (अवयस्क) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और उत्तरवादी को याचिकाकर्ता के डी.एन.ए. परीक्षण के शुल्क के रूप में निदेशक, सी.डी.एफ.डी. हैदराबाद के पक्ष में 16,530/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

5. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस आधार पर यह याचिका दायर की है कि डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को डी.एन.ए. परीक्षण के लिए निर्देशित करने से पहले, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को उत्तरवादी को ठोस साक्ष्यों द्वारा अपना मामला स्थापित करने का निर्देश देना चाहिए था। अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (**एआईआर **2007** एससी **132)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को स्वयं के

विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

6. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को डी.एन.ए. परीक्षण कराने का निर्देश इस उद्देश्य से दिया गया है कि इस तथ्य को स्थापित किया जा सके कि उत्तरवादी का जन्म याचिकाकर्ता के उत्तरवादी की माता के साथ शारीरिक संबंधों से हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उत्तरवादी (अवयस्क) द्वारा याचिकाकर्ता से मासिक भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने के लिए दायर की गई कार्यवाही में दिया गया है। यह निर्देश किसी ऐसे दांडिक मामले में नहीं है जहाँ याचिकाकर्ता पर एक अभियुक्त के रूप में आरोप लगाया गया हो; इसलिए, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों का आश्रय नहीं ले सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सुस्थापित है कि केवल इसलिए कि पक्षकारों में से किसी एक ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय, पितृत्व के तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किए बिना, सीधे डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश दे दे। न्यायालय को सबसे पहले बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करना चाहिए। केवल उसी स्थिति में, जब न्यायालय ऐसे साक्ष्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष या प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हो या यह असंभव हो, और मुद्दे का समाधान डी.एन.ए. परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता हो, तब वह डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही जहाँ बच्चे को 'अज्ञात पिता का पुत्र' होने के कलंक से बचाने के लिए ऐसा परीक्षण अपरिहार्य हो जाता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बनारसी दास बनाम टीकू दत्ता (श्रीमती) और एक अन्य (2005) 4** एससीसी **449** के मामले में, जिसमें शामिल विधिक प्रश्न यह था कि क्या उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है, यह निर्धारित किया कि डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं दिया जा सकता है और केवल पात्र मामलों में ही ऐसा निर्देश दिया जा सकता है।

9. बच्चे के पितृत्व को अन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है, जैसे कि इस तथ्य से कि दोनों व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध थे, जब किरण बाई ने गर्भधारण किया और उस अवधि के दौरान उनके संबंधों के परिणामस्वरूप एक बच्चे का जन्म हुआ। यह उस व्यक्ति के लिए है, जो शारीरिक संबंधों के तथ्य और उस अवधि के दौरान बच्चे के जन्म से इनकार करने में रुचि रखता है, कि वह पुत्र की माता के आरोपों का खंडन करे। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश देने से पहले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पितृत्व का परीक्षण नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः, यह याचिका उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। मामले को कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वे एम.जे.सी. क्रमांक 277/2006 (सुंदर लाल बनाम शारिक अहमद) में डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश पारित करने से पहले अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस विवाद्यक का निर्णय करें।

परिणामस्वरूप, एम(डब्ल्यू)पी क्रमांक 643/2007 को खारिज किया जाता है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur